शरीयते इस्लामी की दृष्टी में आर्थिक दण्ड

इस्लामिक फ़िक्ह अकेडमी इण्डिया का अटठाईसवां फ़िक्ही सेमीनार हिन्दुस्तान के मेवात के बड़े दिनी शीक्षा केन्द्र दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेडला भरतपुर, राजस्थान में दिनांक 17 से 19 नमम्बर सन् 2018 ई0 8-10 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी को आयोजित किया गया, जिसमें बाहरी देशों में क़तर, साउथ अफ्रीक़ा, ईरान अफगानिस्तान और बंगला देश के अतिथियों के अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रदेशों से लगभग तीन सौ उलेमा, मुफ्तीयों और महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों ने भाग लिया, इस तीन दिवसीय संगोष्ठी में चार महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ, इन विषयों पर विचार-विमर्श खोज एवं अनुसंधान के बाद जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुए वह निम्नलिखित हैं:

आज दिनांक 18 नवम्बर सन् 2018 ई0 कमेटी के सदस्यों ने आर्थिक दण्ड के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के बाद निम्नलिखित सुझाव पास किये।

क- इस्लाम में अपराधों की रोक थाम के लिए दण्ड की सीमा की मज़बूत व्यवस्था है, विशेषरूप से अपराधों के लिए जो सजाएं निर्धारित हैं इन्हीं निर्धारण को दंड की सीमाए या परिधि कहा जाता है। और जिन अपराधों की दण्ड शरियत ने निर्धारित नहीं की हैं। दंड संहिता का जाता है।

ख- दंड संहिता की एक महत्त्वपूर्ण भाग वित्तीय दंड लगाया जाता है ताकि वित्तीय दबाव से विवश होकर अपराधी अपने अपराध से रुक जाये, वर्तमान स्थिति में जबकि अपराध से रोकने के लिए वित्तिय दंड के अतिरिक्त कोई और स्थिति संभव या प्रभावशाली नहीं है, तो वित्तिय दंड की संभावना है। अतः इस में न्याय की समीक्षा करना आवशयक है।

ग- शिक्षा एवं शिक्षण की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिना स्वीकृति के अनुपस्थिति या किसी और उदासीनता या अकृणमता पर उचित दंड लगाया जा सकता है। अर्थात् इसकी यह स्थिति अपनाई जाये कि जिन विद्यार्थी को फ्री निवास व भोजन की सुविधा दी गयी थी उनकी सुविधाएं समाप्त करके उनसे फीस वसूल की जाये, या जिन से फीस ली जाती है, इन से अलग से दण्ड की राशि वसूल की जाये, या कोई और उचित प्रभावशाली दशा अपनायी जाये। अलबत्ता इस राशी को कल्याणकारी कार्यों में खर्च किया जाये।

घ- शैक्षिक संस्थानों के अतिरिक्त अन्य संस्थानों पंचायतों के संचालन एवं प्रबन्धन को चलाने के लिए और सामूहिक लाभों की सुरक्षा की दृष्टि से न्याय की माँगों को पूरा करते हुए विश्वसनीय विद्वानों, और मुफ्तियों के सुझावों से वित्तिय दंड लागू करने की संभावना है।

च- तलाक के विषय में पाई जाने वाली खराबियों, दोषों एवं बुराईयों को नियन्त्रण में रखने के लिए अगर निकाह के समय आपसी सहमति से बेजा तलाक (व्यर्थ या दोषपूर्ण तलाक) की दशा में मेहर में राशी की वृद्धि की शर्त लगा दी जाये तो इसकी संभावना है।

छ- जो व्यक्ति अनैतिक तरीक़े पर अपनी पत्नी को एक ही समय में तीन तलाक़ दे दे और इसमें पति की तरफ से अत्याचार हो, तो औरत के मांग पर दारुल क़ज़ा (शरीया कोर्ट) या महाकिमे शरीया इस पर उचित वित्तिय दण्ड लागू कर सकता है, और आवश्यक है कि इस राशि से प्रभावित स्त्री की सहायता की जाये।

☆☆☆

नोटः 28वां फ़िक्ही सेमीनार 8 से 10 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी दिनांक 17 से 19 नवम्बर सन् 2018 ई0 जामिया इस्लामिया दारुल उलूम मुहम्मदिया मील खेडला, राजस्थान।